कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली (राज.)

कमांक– आदेश/रिमाण्ड/ 11 दिनांक– 21 जनवरी, 2025

––:: रिमाण्ड डयूटी बाबत कार्यालय–आदेश ::––

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 सपठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं परवीन बानू, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली माह जनवरी 2025 की रिमाण्ड डयूटी बाबत् पूर्व में जारी आदेश दिनांक 03.01.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश पारित करती हूँ कि करौली जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य के लिए कॉलम संख्या–2 में अंकित पीठासीन अधिकारी को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:–

माह जनवरी 2025

क.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	डयूटी की दिनांक
01	02.	03.	04
1	श्रीमती पूजा बेनीवाल RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमहावीरजी	25, 26 January 2025

नोट– उक्तांकित दिनांक की रिमाण्ड डयूटी के अलावा इस कार्यालय का पूर्व आदेश दिनांक 03 जनवरी, 2025 यथावत रहेगा।

निर्देश:–

1. अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
2. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के अगले दिन राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व दिवस के लिए नियत किए गए थे।
3. नियत किए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।

Parveen Banu

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली

कमांक–145 – 150 दिनांक:– 21.01.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1.श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली ।

2.श्रीमान पुलिस अधीक्षक करौली को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र

3.संबंधित अधिकारी सर्व श्री ....

4.सिस्टम अधिकारी करौली को इस निर्देश के साथ कि सभी अधिकारीगण की मेल आई.डी. पर आदेश भिजवावे एवं जिला न्यायालय करौली की बेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।

5.प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, करौली।

6.आदेश पत्रावली /नोटिस बोर्ड

Parveen Banu

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली